

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, इलाहाबाद।  
पत्रांक 7056 / 15 दिनांक, इलाहाबाद, जून, 19, 2018।

सेवा में,

मुख्य प्रबन्धक (निर्माण)  
लखनऊ गैस इण्डिया लिमिटेड,  
विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ।

विषय- गैस इण्डिया लिमिटेड लखनऊ द्वारा प्रस्तावित परियोजना 24"/36" द्वारा नेचुरल गैस पाइप लाइन झांसी-औरिया एवं फुलपुर के निर्माण हेतु झांसी, उरई, औरिया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, सायबरेली, प्रतापगढ़ एवं इलाहाबाद वन प्रभागों में प्रभावित कुल 2.064771643 हे० वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक कुल 1538 वृक्षों/पीछों के पालन की अनुमति के सम्बंध में।  
संदर्भ- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पत्रांक-88/UP/09/77/2017/FC/160, दिनांक 06-06-2018 तथा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ की पत्र सं०-5230/11-सी-एक.पी./यू.पी./अदर्स/23971/2017 दिनांक 14-6-2018।

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) क्षेत्र द्वारा उक्त पत्र के माध्यम से गैस इण्डिया लिमिटेड लखनऊ द्वारा प्रस्तावित परियोजना 24"/36" द्वारा नेचुरल गैस पाइप लाइन झांसी-औरिया एवं फुलपुर के निर्माण हेतु झांसी, उरई, औरिया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, सायबरेली, प्रतापगढ़ एवं इलाहाबाद वन प्रभागों में प्रभावित कुल 2.064771643 हे० वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के वन भूमि के हस्तांतरण के प्रस्ताव की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। उक्त के अनुपालन में सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों के बिन्दुवार अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये ताकि प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही की जा सके:-

- 1- शर्त संख्या-1 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में परियोजना से प्रभावित 2.064771643 हे० संरक्षित वन भूमि के दोगुने भूमि पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु उरई वन प्रभाग में क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु भूमि विहित की गयी है अतः उक्त धनराशि प्रभागीय वनाधिकारी उरई की मांग के अनुसार आवश्यक धनराशि Compensatory Afforestation Fund CAF UP SB A/C No. 037100101025230, IFSC CODE CORP0000371, CORPORATION BANK LODHI ROAD NEW DELHI 110003 बैंक्या नई दिल्ली में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा की जायेगी।
  - 2- शर्त संख्या-2 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में इलाहाबाद वन प्रभाग में प्रभावित 0.019365 हे० संरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (0.019365X8,26,000.00=12,122.49) की आवश्यक धनराशि **₹ 12,122.00** होगी, जिसे Compensatory Afforestation Fund CAF UP SB A/C No. 037100101025230, IFSC CODE CORP0000371, CORPORATION BANK LODHI ROAD NEW DELHI 110003 बैंक्या नई दिल्ली में ऑनलाइन ई-पोर्टल के माध्यम से जमा की जायेगी।
- (ख)- इसकी उपरान्त ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ऑनलाइन की रसीद की छायाप्रति जिसमें जमा की गयी धनराशि का विवरण अलग-अलग अंकित हो प्रेषित करने के उपरान्त ही अग्रतर कार्यवाही की जायेगी।
- (ग)- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आदेश का बचनबद्धता प्रमाण पत्र (संलग्न स्तर द्वारा) प्रस्तुत करना होगा कि यदि एन.पी.पी. की दर में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

- 3- विधिवत स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांस एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं प्लान पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे एवं पीछे उनकी दिशा भी लिखनी होगी।
- 4- गैस पाइप लाईन डालने हेतु खुदाई के उपरान्त उत्पन्न मलवे को ठीक प्रकार से उसी जगह पर भरा जायेगा एवं शेष मलवे को सुरक्षित स्थान पर निस्तारित किया जायेगा। यह कार्य प्रभागीय वनाधिकारी की देख रेख में किया जायेगा।
- 5- गैस पाइप लाईन बिछाने हेतु ट्रैन्च द्वारा खुदाई प्रभावित आरक्षित भूमि में 10.00 मी तथा सरक्षित वन भूमि में 1.5 मीटर की चौड़ाई में ही की जायेगी तथा प्रयोजन समाप्त होने के उपरान्त स्वतः वन भूमि का प्रत्यावर्तन समाप्त हो जायेगा।
- 6- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विधिवत स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन प्रस्तावित योजना नहीं किया जाएगा।
- 7- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा। उपरोक्त सभी शर्तों की परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या उपलब्ध कराने के बाद ही प्रस्ताव की अंतिम स्वीकृति हेतु अग्रतर कार्यवाही की जायेगी।

(वाई०पी० शुक्ला)  
प्रभागीय निदेशक,  
सा०वा०प्रभाग, इलाहाबाद।

पत्रांक / समदिनांक।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ को उक्त के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वृत्त, उ०प्र० इलाहाबाद को उक्त के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(वाई०पी० शुक्ला)  
प्रभागीय निदेशक,  
सा०वा०प्रभाग, इलाहाबाद।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, औरैया वन प्रभाग, औरैया  
पत्रांक 3333/141 दिनांक: जून, 26, 2018

सेवा में,

मुख्य प्रबंधक (निर्माण)  
गेल इण्डिया लि०, आर०सी०एफ० बिल्डिंग,  
द्वितीय खण्ड टी०सी०/१०वी  
विनूति खण्ड, लखनऊ।

**विषय—** गेल इण्डिया लि० लखनऊ द्वारा प्रस्तावित परियोजना 24"/36" नेचुरल गैस पाइप लाइन झांसी - औरैया - फूलपुर के निर्माण हेतु झांसी, उरई, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ एवं इलाहाबाद वन प्रभागों में प्रभावित कुल 2.064771643 हे० वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक कुल 1538 वृक्षों/पौधों के घातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

**सन्दर्भ—** भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र संख्या - 8वी/सू०पी०/०९/७७/२०१७/१६० दिनांक ०६.०६.२०१८।

**महोदय,**

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में जनपद कानपुर नगर की प्रभावित संरक्षित/आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रदान की गयी है। सन्दर्भित पत्र में दी गयी शर्तों के अनुपालन हेतु विन्दुवार निम्नलिखित धनराशि E-Payment Portal के माध्यम से जमा कर रसीद (ऑन लाइन चालान की प्रति) उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

शर्त सं० १ के अनुसार प्रायोक्ता अभिकरण द्वारा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ के पत्रांक 1793/11-सी FP/UP/Others/23971/2017 दिनांक 27.02.2017 के अनुपालन में उरई वन प्रभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के दोगुने अबनत वनभूमि (2.064771643x2 = 4.129543286) अर्थात् 4.1295 हे० पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा कराये।

शर्त सं० २ (क) के अनुसार परियोजना में प्रभावित हो रही 1.289159184 हे० संरक्षित/आरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) दर रु० 626000/- प्रति हेक्टेयर की दर से रु० 807014/- (आठ लाख सात हजार बीसह मात्र) की धनराशि E-Payment Portal के माध्यम से जमा कराकर रसीद (ऑन-लाइन चालान की प्रति) इस कार्यालय को उपलब्ध कराये।

शर्त सं० २ (ख) के अनुसार क्षतिपूरक एवं एन०पी०वी० की वांछित धनराशि E-Payment Portal के माध्यम से जमा कराकर रसीद (ऑन-लाइन चालान की प्रति) इस कार्यालय को उपलब्ध कराये।

शर्त सं० २ (ग) के अनुसार प्रायोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि एन०पी०वी० की धनराशि में यदि बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रायोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

शर्त सं०-3 के अनुपालन में इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि विधिवत स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांस एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पिलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।

शर्त सं०-4 के अनुपालन में गैस पाइप लाइन डालने हेतु खुदाई के उपरान्त उत्सर्जित मलदे को ठीक प्रकार से उसी जगह पर भरा जाएगा एवं शेष मलदे को सुरक्षित स्थान पर निस्तारित किया जायेगा। यह कार्य प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा।

शर्त सं०-5 के अनुपालन में गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु ट्रैन्च द्वारा प्रभावित आरक्षित वन भूमि में 10 मी० तथा सरक्षित वन भूमि में 1.5 मी० की चौड़ाई में ही की जायेगी तथा प्रयोजन समाप्त होने के उपरान्त स्वतः वन भूमि का प्रत्यावर्तन समाप्त हो जाएगा।

शर्त सं०-6 के अनुपालन में इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र प्रेषित करें कि प्रायोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।

शर्त सं०-7 के अनुपालन में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करने सम्बन्ध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

शर्त सं०-8 के अनुपालन में सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन प्रेषित करते समय प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

अतः उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट अनुपालन आख्या प्रस्तुत करें जिससे प्रस्ताव में अग्रोत्तर कार्यवाही की जा सके।

( सुदरेशा )  
प्रभागीय वनाधिकारी  
औरैया वन प्रभाग, औरैया

परिष्कार संख्या

/ समदिनांक

— प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।  
— प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, ज०प्र० लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

( सुदरेशा )  
प्रभागीय वनाधिकारी  
औरैया वन प्रभाग, औरैया

## कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी

पत्रांक 71 / 15-1 दिनांक, झांसी, 05-07 2018

सेवा में,

श्री प्रदीप यादव,

वरिष्ठ प्रबन्धक गेल इण्डिया लि०

परियोजना कार्यालय आर०सी०एफ० बिल्डिंग

TC/10 V विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ

विषय:-

गेल इण्डिया लि० लखनऊ द्वारा प्रस्तावित परियोजना 24"/36" नेचुरल गैस पाइप लाइन झांसी-औरैया-फूलपुर के निर्माण हेतु झांसी, उरई, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ एवं इलाहाबाद वन प्रभागों में प्रभावित कुल 2.064771643 हे० वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक कुल 1538 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में ।

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज लखनऊ का पत्रांक-8B/UP/ 09/77/2017/160, दिनांक 06.06.2018 एवं इस कार्यालय का पत्रांक-5463/15-1, दिनांक 20.06.2018 ।

उपरोक्त विषयक भारत सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति से गेल इण्डिया लिमिटेड लखनऊ द्वारा प्रस्तावित परियोजना 24"/36" नेचुरल गैस पाइप लाइन झांसी, औरैया, फूलपुर के निर्माण हेतु झांसी उरई, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ एवं इलाहाबाद वन प्रभागों में प्रभावित कुल 2.064771643 हे० वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल 1538 बाधक वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में उल्लिखित शर्तों के साथ प्रदान की गयी है। निम्न शर्तों के अनुपालन में आख्या प्रस्तुत करने हेतु इस कार्यालय के संदर्भित पत्र दिनांक 20.06.2018 द्वारा लिखा गया था। संशोधित पत्र के आधार पर एन०पी०वी० धनराशि जमा करें। जिससे प्रस्ताव में अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके ।

**शर्त सं० 1** - प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, लखनऊ के पत्रांक-1793/11-सी FP/UP/Other/23971/2017, दिनांक 27.02.2017 के अनुपालन में उरई वन प्रभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के दो गुने अवनत वन भूमि (2.064771643X2 = 4.129543286) अर्थात् 4.1295 हे० पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथा संशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा करायें ।

**शर्त सं० 2 (क)** - प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्रांक 5-3/2007-एफ०सी०, दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) की निर्धारित राशि कैम्पा नई दिल्ली में जमा की जायेगी ।

झांसी वन प्रभाग में प्रभावित क्षेत्रफल	दर	धनराशि (लाख में)
0.015162	6.26	0.09491412

**शर्त सं० 2 (ख)** - इसके उपरांत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ऑनलाइन ई-रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित करें ।

शर्त सं0 2 (ग) – प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेगे कि यदि NPV की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुयी धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी ।

शर्त सं0 3 – के अनुपालन में इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि विधिवत स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र/स्थलवार क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पिलर पर दर्शाया जायेगा। इन क्षेत्रों में प्रत्येक स्तम्भ के आगे Forward एवं पीछे Backward एवं उसकी दिशा भी लिखनी होगी। उपरोक्त कार्य प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा ।

शर्त सं0 4 – के अनुपालन में मक डिस्पोजल योजना प्रस्तुत करें ।

शर्त सं0 5 – के अनुपालन में गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु ट्रेन्च द्वारा खुदाई प्रभावित आरक्षित वनभूमि में 10मी0 तथा संरक्षित वनभूमि में 1.50 मी0 की चौड़ाई में ही की जायेगी तथा प्रयोजन समाप्त होने के उपरान्त स्वतः वनभूमि का प्रत्यावर्तन समाप्त हो जायेगा। इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें ।

शर्त सं0 6 – के अनुपालन में इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण पत्र प्रेषित करें कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया जायेगा ।

शर्त सं0 7 – के अनुपालन में लागू सभी नियम कानून एवं दिशा निर्देशों का पालन करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें ।

शर्त सं0 8 – के अनुपालन में सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन प्रेषित करते समय प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें ।

अतः उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट अनुपालन आख्या तत्काल प्रस्तुत करें जिससे प्रस्ताव में अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके ।

(डॉ0 मनोज कुमार शुक्ला)  
प्रभागीय वनाधिकारी  
झांसी वन प्रभाग, झांसी

पृष्ठांकन संख्या /अ/समदिनांक

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(डॉ0 मनोज कुमार शुक्ला)  
प्रभागीय वनाधिकारी  
झांसी वन प्रभाग, झांसी

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी कानपुर देहात वन प्रभाग, कानपुर देहात  
पत्रांक ५०८/१५७ दिनांक, कानपुर देहात, १९.०६-२०१८

सेवा में

मुख्य प्रबन्धक (निर्माण),  
गेल इण्डिया लिमिटेड,  
विभूति खण्ड गोमती नगर,  
लखनऊ।

विषय— गेल इण्डिया लि० लखनऊ द्वारा प्रस्तावित परियोजना २४"/३६" नेचुरल गैस पाइप लाइन  
झाँसी-औरैया-फूलपुर के निर्माण हेतु झाँसी, उरई, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव,  
रायबरेली, प्रतापगढ़ एवं झलाहाबाद वन प्रभागों में प्रभावित कुल २,०६,४७७,१६४.३ हे० वनभूमि के गैर  
व्यावसायिक प्रयोग एवं बाधक कुल १५३८ वृक्षों के पालन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्रांक ५२३०/११-सी-FP/UP/  
Others/२३९७१/२०१७, दिनांक १४.०६.२०१८।

सहाय्य,

वन संरक्षक केन्द्रीय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय अलीगढ़,  
लखनऊ का पत्रांक ८८/UP/०७/७७/२०१७/FC/१६० दिनांक ०६.०६.२०१८ जो मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी  
(वन), उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सम्बोधित तथा इस कार्यालय एवं आपको पृष्ठांकित है, इस सम्बन्ध में के द्वारा  
विषयक प्रकरण में सौद्धान्तिक स्वीकृति विभिन्न शर्तों के अन्तर्गत प्रदान की गयी है। जिसका अन्वय पालन करते  
हुये निम्नानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

शर्त सं०-१-प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उरई, लखनऊ के पत्रांक १७९३/११-सी  
FP/UP/Others/२३९७१/२०१७ दिनांक २७.०२.२०१७ के अनुपालन में उरई वन प्रभाग के पक्ष में प्रभावित  
वनक्षेत्र के दोमुने अवगत वनभूमि (२,०६,४७७,१६४.३X३=६,१२,९५,४३२.८६) अर्थात् ६,१२,९५ हे० पर क्षतिपूर्क  
वृक्षारोपण एवं १० वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये  
व्याप्तसंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा कराये।

शर्त सं०-२-प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) २०२/१९९५ के अन्तर्गत  
आई०एच संख्या-५०६ एवं भारत सरकार के पत्र संख्या ६-३/२००७-एफ०सी० दिनांक ०५.०२.२००८ के  
तहत दिये गये आदेशानुसार ०.५१२६ हे० का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) दर रू० ६२६०००/- प्रति  
हेक्टेयर की दर से रू० ३२१०१३/- की धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये व्याप्तसंशोधित)  
कैम्पा, नई दिल्ली में जमा कराये। यदि एन०पी०वी० की दर में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि  
प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करना अनिवार्य होगा।

भवदीय

(डा० एल०के० गिरि)  
प्रभागीय वनाधिकारी  
कानपुर देहात वन प्रभाग  
कानपुर देहात

प्रतिलिपि ५०८/अ समदिनीकित

प्रतिलिपि :- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में  
सूचनाार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनाार्थ प्रेषित।

(डा० एल०के० गिरि)  
प्रभागीय वनाधिकारी  
कानपुर देहात वन प्रभाग  
Email-dfokd-up@nic.in

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग कानपुर

पत्रांक / 14 दिनांक, कानपुर, जून-12-2018

सेवा में,

प्रबन्धक (निर्माण)  
गैल इण्डिया लि० आर०सी० एफ० बिल्डिंग  
द्वितीय सण्ड टी०सी०/१०  
विभूतिखण्ड लखनऊ

विषय:- गैल इण्डिया लि० लखनऊ द्वारा प्रस्तावित परियोजना 24"/38" गैलरल गैस पाइप लाइन  
झासी-औरैया-कूलपुर को निर्माण हेतु झासी, उरई, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, लखनऊ,  
रायबरेली, प्रतापगढ़ एवं इटावा जिले के वन भूभागों में प्रस्तावित कुल 2.084771843 हे० वनभूमि के गैर  
वानिकी प्रयोग एवं बाधक कुल 1638 पृष्ठों/कैदों के घातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र संख्या- 8वीं/50पी०/  
09/77/2017/180 दिनांक 06.06.2018।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में जनपद कानपुर नगर की प्रभावित  
संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु कतिपय शर्तों के अधीन सैधागतिक स्वीकृति भारत सरकार  
एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रदान की गयी है। सन्दर्भित पत्र में दी गयी शर्तों के अनुपालन हेतु बिन्दुवार निम्नलिखित  
धनराशि E-Payment Portal के माध्यम से जमा कर रसीद (ऑन-लाइन घालान की प्रति) उपलब्ध कराना सुनिश्चित  
करें।

1. बिन्दु संख्या-2 क के अनुसार परियोजना में प्रभावित हो रही 0.013985 हे० संरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान  
मूल्य (एन०पी०वी०) ₹60,8742/- (आठ हजार साठ सौ ब्यासिस मात्र) की धनराशि E-Payment Portal के  
माध्यम से जमा कराकर रसीद (ऑन-लाइन घालान की प्रति) इस कार्यालय को उपलब्ध करावें।
2. बिन्दु संख्या-2 ख के अनुसार क्षतिपूर्क एवं एन०पी०वी० की वांछित धनराशि E-Payment Portal के माध्यम से  
जमा कराकर रसीद (ऑन-लाइन घालान की प्रति) इस कार्यालय को उपलब्ध करावें।
3. बिन्दु संख्या-2 ग के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि  
एन०पी०वी० की धनराशि में यदि बडोस्तो होती है तो बडी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की  
जायेगी।
4. बिन्दु संख्या-4 प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि गैस पाइप लाइन डालने हेतु  
खुदाई के उपरान्त उत्खर्जित मलबे को शीक प्रकार से सही जगह पर भरा जाएगा एवं शीक मलबे को सुरक्षित  
स्थान पर निस्तारित किया जायेगा। यह कार्य प्रभागीय वन चेकरी की देख-रेख में किया जायेगा।
5. बिन्दु संख्या-6 प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार एवं सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित प्रकरण में विधिवत्  
स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।
6. बिन्दु संख्या-7 प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा  
निर्देशों का पालन करने हेतु वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे।

उपरोक्त सभी शर्तों के अतिरिक्त सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित सभी शर्तों की परिपूर्ण एवं बिन्दुवार  
सुस्पष्ट परिपालन अथवा इस कार्यालय को उपलब्ध कराने सुनिश्चित करें ताकि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के  
तहत विधिवत् स्वीकृति जारी किये जाने हेतु कार्यवाही की जा सके।

(अरविन्द कुमार यादव)  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
कानपुर

पत्रांक 3235 /समदिनांकित।

प्रतिलिपि-मुख्य वन संरक्षक/मोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(अरविन्द कुमार यादव)  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
कानपुर

कार्यालय उप वन संरक्षक, जालौन सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, उरई।

पत्रांक - 57 / 33-1 / उरई, दिनांक जुलाई 05 2018।  
सेवा में,

परियोजना निदेशक

गेल इण्डिया लिमि0 लखनऊ,  
आर0सी0एफ0 बिल्डिंग / टी0सी0 / 10वि0,  
विभूति खण्ड गोमती नगर उ0प्र0 लखनऊ।

विषय:- गेल इण्डिया लि0 लखनऊ द्वारा प्रस्तावित परियोजना 24' / 36' नेचुरल गैस पाइप लाइन झांसी-औरइया- फुलपुर के निर्माण हेतु झांसी उरई औरइया, कानपुर देहात कानपुर नगर, रायवरेली, प्रतापगढ एवं इलाहाबाद वन प्रभागों में प्रभावित कुल 2.064771643 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं वाधक कुल 1538 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ का पत्र सं0 8बी / यू.पी / 09 / 77 / 2017 / एफ.सी / 160 दिनांक 06.06.2018।

महोदय,

उक्त संदर्भित पत्र जो इस कार्यालय के साथ आपको भी पृष्ठांकित है के द्वारा उक्त विषयक परियोजना की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के अनुसार निम्नानुसार अनुपालन की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

1. प्रभावित वन क्षेत्र के दोगुने अवनत वन भूमि (2.064771643×2=4.130 हे0) पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु धनराशि- 1374000.00 (तेरह लाख चौहत्तर हजार रू0 मात्र)
  2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0उच्चतम न्यायालय के रिट पिटिशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई0एस0 संख्या- 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3 / 2007 - एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।
- (ख) 0.005397 हे0 संरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि- 3379.00 कुल रू0 1377379.00 (तेरह लाख ससत्तर हजार तीन सौ उन्यासी रू0 मात्र) की धनराशि लेखा संख्या Compensatory afforestation Fund (CAF) Uttar Pradesh SB A/c No. 25230 Corporation Bank, New Delhi or Corporation Bank CGO Complex, New Delhi 110003 (RTGS) IFSC No- CORPO000371 A/c No. 520101263743736 में जमा करके समस्त देयकों को ई-पोर्टल के माध्यम से जमा कराकर ऑन लाइन ई- रसीद के साथ अनुपालन आख्या यथाशीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

(ग)- इस आशय का बचनबद्धता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें कि यदि एन0पी0वी0 की दर में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

कमश.....पेज 2 पर

3. इस आशय का बचनबद्धता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें कि प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के ब्यय पर किया जायेगा तथा अक्षांश एवं देशान्तर भी मानत्रित एवं पिलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे फारवर्ड एवं बैकवर्ड वियरिंग भी लिखाने का कार्य प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कराया जायेगा।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर भारत सरकार को प्रेषित करना होगा।
5. इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाये कि गैस पाइपलाईन विछाने हेतु ट्रेन्च द्वारा खुदाई प्रभावित आरक्षित वन भूमि में 10 मी० तथा संरक्षित वन भूमि में 1.5 मी० की चौड़ाई में ही की जायेगी तथा प्रयोजन समाप्त होने के उपरान्त स्वतः वन भूमि का प्रत्यावर्तन समाप्त हो जायेगा।
6. इस आशय का बचनबद्धता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें कि प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में सभी नियम कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेंगी।
7. इस आशय का वचनबद्धता प्रमाणपत्र प्रेषित करें कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघन नहीं किया जायेगा।
8. सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन प्रेषित करते समय प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लघन के विषय में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें।

उपरोक्त सभी प्रमाणपत्र ऑन लाइन ई-रसीद के साथ प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि इस कार्यालय द्वारा अनुपालन आख्या भारत सरकार को प्रेषित की जा सके।

भवदीय

24

(अंकेश कुमार श्रीवास्तव)  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
जालौन सा०वा०, वन प्रभाग उरई।

पृ०सं०— / समदिनांक।

प्रतिलिपि— मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक बुन्देलखण्ड वृत्त उ०प्र० झांसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अंकेश कुमार श्रीवास्तव)  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
जालौन सा०वा०, वन प्रभाग उरई।

**कार्यालय प्रभागीय निदेशक, साठवाठ वन एवं वन्य जीव प्रभाग, प्रतापगढ़ ।**

पत्रांक 4335/15-2 दिनांक प्रतापगढ़, जून 18, 2019 ।  
 सेवा में,

वरिष्ठ प्रबन्धक(निर्माण)  
 गैल इण्डिया, लिमिटेड,  
 विभूति खण्ड गोमती नगर,  
 लखनऊ- 226010 ।

विषय- गैल इण्डिया लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित परियोजना 24/36 नेचुरल गैस वाइप लाइन  
 झरनी- औरैया-फूलपुर के निर्माण हेतु प्रतापगढ़ वन प्रभाग में प्रस्तावित 0.00684915 हे०  
 संरक्षित वनभूमि के दिनांक 24 फरवरी के गैर कानूनी की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ- पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य) का पत्रांक  
 8वीं/यू०पी०/०९/११/२०१७/एफ०सी०/१६० दिनांक 06.06.2018 ।

संदर्भ,

उपरोक्त संदर्भित पत्र को मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी(वन) को संदर्भित एवं आपकी  
 एवं इस कार्यालय को पृष्ठांकित है कि सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके अन्तर्गत गैल इण्डिया  
 लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित परियोजना 24/36 नेचुरल गैस वाइप लाइन झरनी-  
 औरैया-फूलपुर के निर्माण हेतु झरनी, उरई, औरैया, फूलपुर देहात, फूलपुर नगर, रायबरोली,  
 प्रतापगढ़ एवं इलाहाबाद वन प्रभाग में प्रस्तावित कुल 2,06,477.1843 हे० वन भूमि की गैर  
 कानूनी प्रयोग एवं बाधक कुल 1538 वृक्ष/पीछे के पतन की अनुमति भारत सरकार के  
 उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा निहित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत प्रदान की गयी है।

शर्त संख्या- 1 परतव से सम्बन्धित समस्त शर्तियाँ वृक्षरोपण उरई वन प्रभाग में प्रस्तावित है। अतः शर्त  
 सं०-1 से सम्बन्धित वनरक्षि इस वन प्रभाग से आच्छादित नहीं है।

शर्त संख्या 2(क)-प्रयोजित अभिकरण द्वारा सार्वजनिक उच्चतम न्यायालय के सिटि पिटीशन (सिविल) 202/1998  
 के अन्तर्गत आई०ए०संख्या 566 एच भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एच०सी०  
 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य(एन०पी०वी०) (0.  
 00684915हे०X626000) रु० 4287.5679 अर्थात् **रु० 4286.00** की धनराशि आनलाइन पोर्टल  
 के माध्यम से ई-भातान द्वारा जमा करना सुनिश्चित करें। उक्त दोनों शर्तियों की जमा  
 धनराशि की रसीद संलग्नकर अनुपालन आख्या के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।

बिन्दु संख्या 2 (ग)-प्रयोजित अभिकरण इस आशय का उच्चतम न्यायालय प्रमाण पत्र (लखनऊ स्तर द्वारा प्रस्तुत करें  
 कि यदि एन०पी०वी० की दर में बढ़ोतरी होती है तो बड़ी हुई धनराशि प्रयोजित अभिकरण  
 द्वारा जमा की जायेगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त संलग्न सैद्धान्तिक स्वीकृति जो आपकी पृष्ठांकित है। इस आशय से  
 उचित कि स्वीकृति पत्र में अंकित बिन्दुओं पर अनुपालन आख्या तीन प्रतियों में इस कार्यालय को प्रस्तुत करें  
 ताकि विधिवत स्वीकृति हेतु प्रस्ताव उच्च स्तर को तत्काल भेजा जा सके।

संलग्नक-भारत सरकार का संदर्भित पत्र।

बर्धसित

(सि०डी०ए०)  
 प्रधान निदेशक

संख्या / समदिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचित एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित -

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उपग्र० लखनऊ।
2. वन संरक्षक, इलाहाबाद वन उपग्र०, इलाहाबाद।

(सी०आर० अहिरवार)  
 प्रभागीय निदेशक  
 साठवा वन एवं वन्य जीव प्रभाग  
 प्रतापगढ़

(सी०आर० अहिरवार)  
 प्रभागीय निदेशक  
 साठवा वन एवं वन्य जीव प्रभाग  
 प्रतापगढ़

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, रायबरेली  
पत्रांक- 7772/41-1 ,दिनांक, रायबरेली, जून 18, 2018।

रजि. 8

सेवा में,

मुख्य प्रबन्धक (निर्माण)  
गेल इण्डिया लि०,  
विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ।

विषय- गेल इण्डिया लिमिटेड, लखनऊ द्वारा प्रस्तावित परियोजना 24"/36" नेचुरल गैस पाइप लाइन झांसी-औरेया-फूलपुर के निर्माण हेतु झांसी, उरई, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, रायबरेली, प्रतापगढ़ एवं इलाहाबाद वन प्रभागों में प्रभावित कुल 2.064771643 हे० वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक कुल 1538 पृष्ठों/पीछों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ- वन संरक्षक (के) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिषदेंतन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ, भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यूपी/09/77/2017/एफ.सी./160 दिनांक 06.06.2018

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जो आपको भी पृष्ठांकित है। संदर्भित पत्र द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति 8 शर्तों के साथ प्रदान की गयी है। कृपया 8 शर्तों की अनुपालन आख्या यथाशीघ्र इस कार्यालय में उपलब्ध कराने तथा क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं एन.पी.वी. (सुदृढ वर्तमान मूल्य) की धनराशि जमा कराने का कष्ट करें, जिससे अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(तुलसीदास)

प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
रायबरेली।

पत्रांक- / उक्त दिनांक।

1-प्रतिलिपि-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी (वन संरक्षण), 17 राणा प्रताप मार्ग, उ०प्र०, लखनऊ को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


2-प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, उ०प्र०, लखनऊ को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(तुलसीदास)

प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
रायबरेली।

गेल इण्डिया लिमिटेड द्वारा औरैया से जनपद इलाहाबाद में फूलपर तक (वाया इटावा,कानपुर देहात,कानपुर नगर,उन्नाव-रायबरेली) प्रभावित वन भूमि की एन0पी0वी0 धनराशि।

प्रभावित क्षेत्रफल	दर	धनराशि
0.1953635 हे0	626000 /-	रु0 122298.00

  
(तुलसीदास)  
प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग,  
रायबरेली  
सामाजिक वानिकी प्रभाग,  
रायबरेली

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 वन एवं वन्यजीव प्रभाग-उन्नाव।

पत्रांक 5276/ 14-1(गैल इण्डिया) दिनांक, उन्नाव जून, 18, 2018

सेवा में,

**मुख्य वन संरक्षक**  
मुख्य वन संरक्षक (निर्माण)  
गैल इण्डिया लि0 विभूमि खण्ड  
गोमती नगर, लखनऊ।

**विषय:-** गैल इण्डिया लि0 लखनऊ द्वारा प्रस्तावित परियोजना 24"/36" गैचुरल गैस पाइप लाइन झांसी-औरैया-फूलपुर के निर्माण हेतु झांसी उरई औरैया कानपुर देहात कानपुर नगर रायबरेली प्रतामगढ़ एवं इलाहाबाद वन प्रभागों में प्रभावित कुल 2.064771643 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक कुल 1338 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

**सन्दर्भ:-** भारत सरकार की पत्र सं0 8 बी/यू0पी0/09/77-2017/एफ0सी0/160 दिनांक 8-6-2018

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र जो मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र, लखनऊ को सम्बोधित तथा अधोहस्ताक्षरी व आपको पृष्ठांकित है(छाया प्रति संलग्न-1) द्वारा विषयगत प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करते हुए अनुपालन आख्या चाही गयी है। का विवरण निम्न प्रकार है:-

शर्त सं0	भारत सरकार की शर्तें	अनुपालन हेतु कार्यवाही
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के दुगुने अवनत वन भूमि (2.064771643x2=4.129543286 अर्थात् 4.1295 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।	उरई वन प्रभाग द्वारा कार्यवाही अपेक्षित है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल)202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05-02-2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्या(एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।	एन0पी0वी0 धनराशि की गणना संलग्न है तदनुसार याचक द्वारा कार्यवाही अपेक्षित।
	(ख) इसके उपरान्त ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई-रसीद की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि की मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया है)प्रेषित की जाए तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।	याचक विभाग द्वारा कार्यवाही अपेक्षित।
	(ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन0पी0वी0 की दर में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	याचक विभाग द्वारा कार्यवाही अपेक्षित।

3	विधिवत स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यव पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं प्लान पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (beckward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।	याचक विभाग द्वारा कार्यवाही अपेक्षित।
4	गैस पाइप डालने हेतु खुदाई के उपरान्त उत्सर्जित मलबे को ठीक प्रकार से उसी जगह पर भरा जाएगा एवं शेष मलबे को सुरक्षित स्थान पर निस्तारित किया जाएगा। यह कार्य प्रभागीय वनाधिकारी की देख रेख में किया जाएगा।	प्रमाण-पत्र अपेक्षित।
5	गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु ट्रैन्च द्वारा खुदाई प्रभावित आरक्षित वन भूमि में 10 मीटर तथा संरक्षित वन भूमि 1.5 मीटर की चौड़ाई में ही की जाएगी। तथा प्रयोजन समाप्त होने के उपरान्त स्वतः वन भूमि का प्रत्यावर्तन समाप्त हो जायेगा।	प्रमाण-पत्र अपेक्षित।
6	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार यह सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित प्रकरण में विधिवत स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।	प्रमाण-पत्र अपेक्षित।
7	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।	प्रमाण-पत्र अपेक्षित।
8	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे।	-

उपरोक्त अनुपालन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि विधिवत स्वीकृति हेतु अग्रिम कार्यवाही पूर्ण की जा सके।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग

*(Handwritten Signature)*

पत्रांक / समदिनांकित

1- प्रतिलिपि मुख्य वन सहायक, / नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ को उनके कार्यालय की पत्र सं० 5230/11सी (प/उप/अन्य/23871/2017 दिनांक 14-6-2018 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2- प्रतिलिपि उप प्रभागीय वनाधिकारी, उन्नाव तथा वन क्षेत्राधिकारी, उन्नाव को सैद्धान्तिक स्वीकृति की एक प्रति संलग्न कर प्रेषित कि प्रस्तावित प्रकरण में विधिवत स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न होने पर यह कार्य ही वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र तत्काल प्रस्तुत करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग  
उन्नाव

## शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि की गणना

सामाजिक वानिकी प्रभाग उन्नाव के अन्तर्गत जनपद-उन्नाव में प्रस्तावित डाखी-औरिया-फूलपुर गैस पाइप लाइन के निर्माण में संरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणना निम्न है-

- |  |             |
|--|-------------|
| 1- प्रभावित संरक्षित वन भूमि का क्षेत्रफल-       | 0.00675 हे० |
| 2- प्रभावित संरक्षित वन भूमि का वानस्पतिक घनत्व- | 0.2         |
| 3- प्रभावित संरक्षित वन भूमि का Eco Class-       | Eco-3       |

उपरोक्त एवं Eco Class वानस्पतिक घनत्व

वाले वन भूमि का शुद्ध वर्तमान दर-

रु० 6.26 लाख प्रति हे०

- 4- प्रभावित संरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य-
- $0.00675 \times 6.26,000$

= 4225.50 या

4226.00

(रु० चार हजार दो सौ छब्बीस मात्र)

उपरोक्त धनराशि गैल इण्डिया लि० द्वारा देय होगी। भविष्य में यदि उक्त दर में वडात्तरी होगी तो तदानुसार देय होगी।

(अधिकारी, प्रमुख)

सामाजिक वानिकी निदेशक,

सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग,

उन्नाव

सामाजिक वानिकी निदेशक  
उन्नाव